

पत्रांक-06/वि० 09-243/2025 325

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक : 15/01/2026

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत राज्य स्कीम मद में प्रारंभिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार योजना के तहत विद्युतीकरण हेतु 78,00,00,000/- (अठ्तर करोड़) रुपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

“अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित”

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक 6148(A) दिनांक 05.07.2025 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में राशि की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 167 दिनांक 18.08.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत राज्य स्कीम मद में प्रारंभिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार योजना के तहत 67500 वर्ग कक्ष एवं अन्य कमरों में विद्युतीकरण हेतु प्रति कमरा 40,000/- (चालीस हजार) रुपये की दर से राज्य योजना मद से 2,70,00,00,000/- (दो अरब सत्तर करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति तथा 1,92,00,00,000/- (एक अरब बानवे करोड़) रुपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृत राशि में से शेष 78,00,00,000/- (अठ्तर करोड़) रुपये मात्र की विमुक्ति की प्रदान की जानी है।

2. राज्य निधि से असैनिक कार्य की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विभागीय पत्रांक 09/गो. दिनांक 19.02.2025 द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के विकास कार्यों का क्रियान्वयन 31.03.2025 के बाद बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा ही किया जाएगा। विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अपने स्तर पर मरम्मत के कार्य करा सकेंगे जिसकी कुल अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये है। यह व्यवस्था यथावत् रहेगी।

3. वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत राज्य स्कीम मद में प्रारंभिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार योजना के तहत विद्युतीकरण हेतु 78,00,00,000/- (अठ्तर करोड़) रुपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-21, मुख्यशीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघुशीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन, उप शीर्ष-0101-प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, विपत्र कोड-21-2202010010101 के विषय शीर्ष-0101-27-02 अनुरक्षण एवं मरम्मत मद

2m

अन्तर्गत किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त मद में योजना अन्तर्गत 6,00,00,00,000/- (छः अरब) रुपये मात्र का उपबंध प्राप्त है।

5. उक्त स्वीकृत राशि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के निस्ताराधीन होगी। राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा बी०टी०सी० फॉर्म 46 पर की जायेगी। निकासी की गई राशि बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास निगम लि० पटना के PL Account No.- PBBPLA005, Ledger Name- State P&L Fpr Defferent School, Ledger Id-3851 में राशि का अंतरण, अंतरण-जमा के द्वारा किया जाएगा।

6. राशि की निकासी एवं व्यय के संबंध में वित्त विभाग एवं विभाग द्वारा निर्गत निदेशों/आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना के निर्माण का दोहरीकरण एवं राशि का अपव्यय किसी भी परिस्थिति में न हो।

8. योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

9. बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा स्वीकृत एवं व्यय की गयी राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र राशि प्राप्ति के 18 माह के अन्दर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जायेगा। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना के द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

11. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय ज्ञापांक संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं ज्ञापांक 235 दिनांक 01.04.2025 में निहित प्रावधानों तथा विभागीय आदेश एवं समय-समय पर वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत पत्र/परिपत्र के आलोक में की जायेगी।

13. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय संकल्प सं० 12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

14. उक्त प्रस्ताव पर योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना की बैठक में दिनांक 24.07.2025 को सहमति प्राप्त है।

15. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद्, बिहार, पटना की बैठक में दिनांक 29.07.2025 में मद संख्या 29 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

24/

16. उक्त स्वीकृत्यादेश एवं प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या-06/वि० 09-243/2025 के नोट पृष्ठ. 48/टि० पर दिनांक 31.12.2025 को प्राप्त है।

17. उक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अजय सतीश भेंगरा)

उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-06/वि० 09-243/2025 पटना, दिनांक :- 15/01/2026

प्रतिलिपि :-अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पदाधिकारी/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा/आय-व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-05/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-21, लेखाशाखा/लेखापाल (दो अतिरिक्त प्रति)/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि० एवं समग्र शिक्षा अभियान)/संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा/संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय शिक्षा समिति/AC/DC कोषांग, प्राथमिक शिक्षा/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

